राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

हितों के टकराव को लेकर गांगुली पर सख्त लोकपाल

>> 14

वर्ष 3 अंक 96

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 14 सितंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सरोकार

भगवान और महापुरुषों के नाम पर रख दिए पेड़ों के नाम

जमशेदपुर : झारखंड के जमशेदपुर जिले के गोलमुरी क्षेत्र में सड़क किनारे तार की जाली से घिरे बाड़े पर भगवान और महापुरुषों के नाम लिखे हुए हैं। राम, कृष्ण, रहीम, गुरुनानक देव, गुरुगोविंद सिंह और रविदास के रूप ये पेड़–पौधे पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। (पेज–6)

जागरण विशेष

झारखंड में अब किसानों की दोस्त बनेगी जलकुंभी

पाकुड़ : जलीय जीवों को नष्ट कर देने वाली जलकुंभी स्वभाव अब बदलने वाला है। अब यह किसानों की दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त के रूप में जानी जाएगी। दरअसल, इससे हरी खाद बनाने की विधि ईजाद की गई है। (पेज–15)

दिल्ली में फिर ऑड–इवेन का एलान, गडकरी ने कहा–जरूरत नहीं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली के लोगों को सर्दियों में प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार फिर से ऑड-इवेन (विषम-सम) योजना शुरू होगी। सरकार ने चार से 15 नवंबर तक चौपहिया वाहनों के लिए ऑड-इवेन व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है। 9 और 10 नवंबर को शनिवार व रविवार होने की वजह से नियम में छूट मिलेगी। प्रेट्र के अनुसार, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा,इस कदम की कोई जरूरत नहीं है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सात बिंदुओं पर कार्य योजना बनी है। ऑड-इवेन योजना उसी का हिस्सा है। सीएम ने कहा, अक्टूबर व नवंबर में पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने से और सर्दियों में होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए यह कवायद शुरू की गई है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार से भी इस संबंध में बात करेगी। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट का ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान भी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, विभिन्न स्तर पर चर्चा में 1200 से ज्यादा सुझाव मिले हैं। उन्हीं के आधार पर सात बिंदुओं पर केंद्रित कार्ययोजना बनाई गई है।

नितिन गडकरी ने नागपुर में कहा, 'अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने जो नई रिंग रोड बनवाई है, उससे दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है। इसके अलावा मेरा मंत्रालय करीब 50,000 करोड़ रुपये सड़क निर्माण पर खर्च कर रहा है। मैं समझता हूं कि अगले दो वर्षों में दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो जाएगी।

- चार से 15 नवंबर तक चौपहिया वाहनों पर लागू रहेगी योजना

दिल्ली सचिवालय मे पत्रकार वार्ता को संबोधित करते सीएम अरविंद केजरीवाल।

कार्ययोजना की खास बातें

- वार रूम बनाया जा रहा है, जिसमें प्रदूषण से संबंधित शिकायतें दर्ज कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी
- स्कूलों व सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम से लोगों से प्रदूषण घटाने में सहयोग मांगा जाएगा
- 15 नवंबर के बाद ऑड–इवेन और दिवाली पर लेजर–शो को छोड़ बाकी बिंदु पर बनी कार्ययोजना लागू रहेगी

क्या होती है योजना

बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते सड़कों से वाहनों की संख्या कम करने के लिए इस तरह के नियम लागू किए जाते हैं। इसके तहत सड़कों पर वाहनों को उसके सम–विषम नंबरों के आधार पर चलने की अनुमति होती है। एक दिन सम संख्या वाले यानी ऐसे वाहन जिनके नंबर की आखिरी संख्या 0, 2, 4, 6, 8 पर खत्म होती है, उन्हें चलाया जाता है। दूसरे दिन सड़कों पर विषम संख्या (1,3,5,7 और 9) पर खत्म होने वाले नंबरों की गाड़ियां चलती हैं।

क्यों है जरूरत

2018 तक दिल्ली की सड़कों पर 31 लाख पंजीकृत वाहन दौड़ते थे। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली पिछले कई साल से शामिल है। सर्वाधिक प्रदूषण की स्थिति में यहां पीएम 10 की स्थिति 800 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर तक पहुंच जाती है, जो तय मानक से आठ गुना अधिक है। सर्वाधिक घातक सूक्ष्म कणों पीएम 2 .5 प्रति घनमीटर 400 माइक्रोग्राम तक पहुंच जाता है, जबकि इसकी सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर है।

अन्य देशों में नियम

चीन के बीजिंग में 2008 के ओलंपिक के दौरान इस नियम को लागू किया गया। इससे प्रदूषण में 40 फीसद की कमी आई। ब्राजील की राजधानी साओ पाउलो में गत एक दशक से इस नियम को अपनाया जा रहा है। नार्वे की राजधानी ओस्लो में भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह नियम लागू किया जाता है। 2012 के ओलंपिक के दौरान लंदन में इसे लागू किया गया। कुछ अन्य देशों ने भी इस तरह की योजना पर काम करने की कोशिश की है।

कम हुआ था 10 से 12 फीसद प्रदूषण

दिल्ली सरकार ने 2016 में दो बार ऑड–इवेन योजना लागू की थी। एक जनवरी से 15 जनवरी और 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इसे लागू किया था। दावा है कि उस समय 10 से 12 फीसद तक प्रदूषण कम हुआ था। अब एक बार फिर इसी तरह की कोशिश की जा रही है ताकि दिल्ली को प्रदूषण की बड़ी समस्या से राहत देने की कोशिश की जा सके।

बहुत असरकारी नहीं

2017 में आइआइटी और आइआइएम के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से शोध किया, जिसमें पाया गया कि ऑड–ईवन स्कीम के पहले चरण में दिल्ली के प्रदूषण में सिर्फ 2 से 3 फीसद गिरावट आई।

सुधार जारी : पिछले तीन साल के दौरान दिल्ली के प्रदूषण में 25 फीसद की कमी आई है। स्वच्छ हवा के लक्ष्य को पाने के लिए इस प्रदूषण में 65 फीसद और कटौती की दरकार होगी।

अहम मामला ▸ शीर्ष अदालत ने फेसबुक की याचिका पर सुनवाई के केंद्र को दिया निर्देश

सोशल मीडिया को आधार से जोड़ने पर जल्द फैसला करे सरकार : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला करने की जरूरत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और वाट्सएप की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने केंद्र से सवाल किया कि क्या वह सोशल मीडिया के नियमन से संबंधित नीति बनाने और सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से जोड़ने पर विचार कर रही है।

याचिका में फेसबुक ने मद्रास, बांबे और मध्य प्रदेश हाई कोर्टों में इस मुद्दे पर लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें हाई कोर्टों से याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने पर कोई आपत्ति नहीं है। वह केंद्र सरकार से इस पर निर्देश प्राप्त करेंगे। इसके बाद पीठ ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को 24 सितंबर तक का समय दे दिया।

याचिका में फेसबुक ने कहा है कि याचिकाओं का ट्रांसफर न्याय के हित में है क्योंकि इससे हाई कोर्टों के विरोधाभासी फैसलों से बचा जा सकेगा। उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दो याचिकाएं मद्रास हाई कोर्ट में और एक-एक याचिका बांबे व मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर की गई थीं। उसने इन हाई कोर्टों में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग भी की थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्टों में जारी सुनवाई पर रोक तो नहीं लगाई थी, लेकिन उन्हें अंतिम आदेश जारी करने से रोक दिया था। हाई कोर्टों में याचिकाओं में मांग की गई है कि आधार अथवा किसी भी पहचान पत्र को सोशल मीडिया अकाउंट्स के सत्यापन के लिए अनिवार्य बनाया जाए। फेसबुक ने कहा है कि सभी याचिकाओं में एक जैसी मांग की गई है। चूंकि इस मामले में किसी भी फैसले का दूरगामी प्रभाव होगा, लिहाजा फैसले में इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होनी चाहिए।

एससी–एसटी एक्ट बड़ी पीठ के हवाले पेज>>3

क्या है मामला

तमिलनाडु समेत कई राज्यों ने यह आरोप लगाया है कि फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया कंपनियां भारतीय कानूनों का पालन नहीं कर रही हैं। इससे अपराधियों को पकड़ने में देरी और अपराध नियंत्रण में मुश्किल होती है।

क्यों अहम है मसला

आतंकवाद को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल हुआ है, हो रहा है। इसे खत्म करने के लिए सरकार सोशल मीडिया से जुड़े कानून कड़े करने की कोशिशों में जुटी हैं। फर्जी खबरें सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से फैलती हैं, जिन्हें रोकना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है

कुछ बड़े सवाल हैं सामने....

अगर फेसबुक, वाट्सएप समेत अन्य कंपनियों के पास करोड़ों भारतीयों के आधार कार्ड रिकॉर्ड पहुंच गए तो सूचनाओं के दुरूपयोग का प्रश्न आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार की जानकारी को अब तक निजता से जोड़कर रखा हुआ है। कोर्ट ने स्वयं कंपनियों द्वारा आधार की जानकारी लेना वैकल्पिक कर दिया है।

इससे पहले...

- 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट से कहा था कि वह सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से लिंक करने के मामले में सुनवाई जारी रखे, लेकिन कोई फैसला नहीं सुनाए।
- तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट इस मामले के विशिष्ट चरण में पहुंच गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते फैसला नहीं ले पा रहा है।
- फेसबुक की दलील थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने उपयोगकर्ताओं की जानकारी अपराध नियंत्रण प्राधिकारों को दें या नहीं दें, इस बारे में सबसे बड़ी अदालत को ही फैसला करना चाहिए क्योंकि इसके वैश्विक परिणाम होंगे

अफगानिस्तान में अमेरिका का साथ देना बड़ी गलती

इस्लामाबाद, एएनआइ

हर मोर्चे पर मिल रही विफलता से निराश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब आत्म अवलोकन की मुद्रा में हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में सोवियत रूस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का साथ देने को पाकिस्तान की बड़ी गलती माना। इमरान के अनुसार, पाक को तटस्थ रवैया अपनाना चाहिए था। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना दो दशक से तालिबान के खिलाफ लड़ाई छेड़े हुए है।

रसिया टूडे को दिए साक्षात्कार में इमरान ने कहा, शिद्दत से महसूस करता हूं कि पाकिस्तान को इस लड़ाई से अलग रहना चाहिए था, क्योंकि इसमें शामिल होना उसके खिलाफ गया। हमारे 70 हजार लोगों की जानें गईं और 100 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। इसके बाद अमेरिका के अफगानिस्तान में न जीतने का दोष हमें दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा, कि यह पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं हो रहा। इमरान का यह वक्तव्य अक्टूबर में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की बैठक से पूर्व दुनिया को दी जा रही सफाई माना जा रहा है। आतंकी संगठनों को मिलने वाले धन पर रोक लगाने में विफल रहे पाक को एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है। एफएटीएफ की कार्रवाई से पाक को अंतरराष्ट्रीय सहायता मिलनी मुश्किल हो जाएगी।

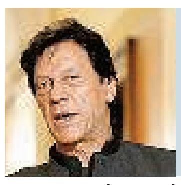

इमरान ने स्वीकारा आतंकी पाकिस्तान में पैदा हुए, गृह मंत्री के बाद पीएम का इकरारनामा

साक्षात्कार में इमरान ने माना कि पाक में पैदा हुए आतंकी संगठनों ने अमेरिका से धन लेकर अफगानस्तान में सोवियत रूस की सेना से लड़ाई लड़ी। अब वही संगठन पाक पर भारी पड़ रहे हैं। अमेरिका की आतंकवाद निरोधी लड़ाई में शामिल होकर पाकिस्तान ने अपने लोगों को खोया और अर्थव्यवस्था बर्बाद कर ली। नतीजा यह हुआ कि पाक नकद धनराशि के लिए मोहताज हो गया। अब कई देशों व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन लेकर काम चल रहा है। बुधवार को कुछ ऐसा ही बयान गृह मंत्री एजाज अहमद शाह ने दिया था। उन्होंने कहा था कि पाक ने आतंकी संगठनों को पालने में अरबों रुपये खर्च किए। अब यही संगठन मुसीबत बन गए हैं। इसी के चलते दुनिया का कोई भी देश पाक के साथ नहीं खड़ा है। उन्होंने यह बात हाल में जम्मू-कश्मीर मसले पर पाक के छेड़े अभियान को समर्थन न मिलने पर कही। उन्होंने इसके लिए इमरान समेत सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को जिम्मेदार ठहराया।

जम्मू–कश्मीर पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान ने फिर उगला जहर पेज>>13

न्यूज गैलरी

राज–नीति ▸ पृष्ठ 3

दो को छोड़ काली सूची से सभी सिख हुए बाहर

नई दिल्ली : गुरुनानक देव की 550वीं जयंती के ठीक पहले मोदी सरकार ने सालों से काली सूची में शामिल विदेश में रह रहे सिखों को बड़ी राहत दी है। काली सूची में शामिल 314 में से 312 सिखों को इस सूची से बाहर कर दिया गया है। अब इन सिखों और उनके परिवार के सदस्यों का भारत आना संभव हो सकेगा।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 7

पुलिस निगरानी में चिन्मयानंद, सील किया गया आवास

शाहजहांपुर : दुष्कर्म के आरोप में घिरे पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर एसआइटी का शिकंजा कसने लगा है। चिन्मयानंद की निगरानी के लिए पुलिस तैनात की गई है। साख ही एक कमरे को छोड़कर उनका बाकी आवास सील कर दिया गया। बता दें आश्रम परिसर में ही चिन्मयानंद डिग्री कॉलेज और लॉ कॉलेज संचालित होते हैं।

बिजनेस ▸ पृष्ठ 12

आठ अक्टूबर से नेमलेस और फेसलेस आइटी असेसमेंट

नई दिल्ली : सरकार करदाताओं के लिए ऑनलाइन असेसमेंट स्कीम लेकर आई है। इसे बिना चेहरे और बिना नाम वाला असेसमेंट (मूल्यांकन) का नाम दिया गया है। सरकार ने इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि स्कीम विजयादशमी यानी आठ अक्टूबर से प्रभाव में आ जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

अमेरिका में ओपॉयड दवाएं बेचने में आठ भारतवंशी बंदी

न्यूयॉर्क : अमेरिका में ओपॉयड (नशीली दर्द निवारक) दवाएं बेचने के आरोप में भारतीय मूल के आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए भारतवंशियों पर आरोप है कि वे भारत से करोड़ों डॉलर की बिना ब्रांड वाली नशीली दर्द निवारक दवाएं मंगवाकर अमेरिका में बेचते थे। इन ओपॉयड दवाओं को अमेरिकी डाक या कूरियर के जरिये ग्राहकों को भेजा जाता था।

गौतम नवलखा के खिलाफ मामला निराधार नहीं, गहन जांच जरूरी : बांबे हाई कोर्ट

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट ने कहा है कि नक्सली विचारक गौतम नवलखा के खिलाफ मामला निराधार नहीं है। इस मामले में प्रथम दृष्टया सुबूत हैं, जिनकी और गहन जांच की जरूरत है। नवलखा ने अपने खिलाफ पुणे पुलिस द्वारा दर्ज एफआइआर रद करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसके खिलाफ पुलिस के पास कोई सुबूत नहीं हैं उसे इस मामले में गलत ढंग से घसीटा गया है।

पुणे पुलिस ने नवलखा एवं अन्य के खिलाफ नक्सलियों से संपर्क रखने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। नक्सली विचारक के खिलाफ कोरेगांव-भीमा हिंसा से जुड़े होने का भी आरोप है। न्यायाधीश रंजीत मोरे और भारती डांगरे की पीठ ने शुक्रवार को नवलखा की याचिका खारिज करते हुए कहा, मामले में प्रथम दृष्टया सुबूत हैं।

गौतम नवलखा एवं चार अन्य 31 दिसंबर, 2017 को एल्गार परिषद के सम्मेलन के अगले दिन कोरेगांव-भीमा में भड़की हिंसा के मामले में आरोपित हैं। सभी पर माओवादियों से संपर्क रखने का आरोप है। इन सभी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए थे। पुणे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सभी ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। शीर्ष कोर्ट ने सभी को अपने घर में ही नजरबंद रखने का आदेश दिया था। बाद में पुणे पुलिस को आगे की जांच जारी रखने की हरी झंडी दे दी थी।

- बांबे हाई कोर्ट ने नक्सली विचारक की एफआइआर रद करने की याचिका को किया खारिज

मामले के महत्व पर विचार करने के बाद हम महसूस करते हैं कि गहन जांच की जरूरत है। मामला निराधार नहीं है और तथ्यों का अभाव भी नहीं है। **–बांबे हाई कोर्ट**

गौतम नवलखा फाइल फोटो

कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, सीबीआइ ने किया तलब

जागरण संवाददाता, कोलकाता

कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त एवं वर्तमान एडीजी (सीआइडी) राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक शुक्रवार को हटा दी। इससे राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सीबीआइ ने उनके आवास पर शुक्रवार को ही नोटिस चस्पा कर दिया है। उनको शनिवार को तलब किया गया है।

राजीव कुमार पर सारधा घोटाले के सुबूतों से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप हैं। सारधा घोटाले की जांच के लिए जिस विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया गया था, वह उसके प्रमुख थे। सीबीआइ का कहना है कि उन्होंने सारधा समूह के प्रमुख सुदीप्त सेन की लाल रंग की एक डायरी व पेन ड्राइव को छिपाकर रखा है। वहीं, राजीव कुमार का कहना है कि उनके पास इस तरह की कोई डायरी नहीं है। यही वजह है कि सीबीआइ राजीव को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करना चाहती थी, मगर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट में शुक्रवार को लंबी सुनवाई के दौरान सीबीआइ के अधिवक्ता ने राजीव कुमार के खिलाफ बेहद मजबूत दलीलें पेश कीं। राजीव के अधिवक्ता ने भी बचाव करने का पूरा प्रयास किया। अलबत्ता, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मधुमिता मित्रा की पीठ ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक हटा दी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआइ के अधिकारियों ने बैठक कीं। इसके बाद दो अधिकारी शाम करीब 4.55 बजे राजीव कुमार के आवास पर पहुंचे। राजीव कुमार घर पर नहीं थे। इसके बाद सीबीआइ अधिकारियों ने उनके आवास की दीवार पर नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस में शनिवार सुबह 10 बजे तक राजीव कुमार को सीबीआइ दफ्तर में हाजिर होने का जिक्र है।

- हाई कोर्ट ने हटाई राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक
- जांच एजेंसी ने घर पर शुक्रवार शाम ही चस्पा कर दिया नोटिस

कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार (फाइल फोटो)। आर्काइव

सादी वर्दी में पुलिस ने संभाला मोर्चा पेज>>5

मील का पत्थर

स्वदेशी एलसीए ने पहली बार किया 'अरेस्टेड लैंडिंग' का प्रदर्शन, रक्षा मंत्रालय ने कहा, नौसैनिक विमानन के इतिहास में सुनहरा दिन

स्वदेशी तेजस 'अरेस्टेड लैंडिंग' में भी पास

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस के नौसैनिक संस्करण के विकास में एक अहम पड़ाव पार हो गया है। तेजस ने शुक्रवार को सफलतापूर्वक 'अरेस्टेड लैंडिंग' (कम जगह में लैंडिंग) करके विमान वाहक पोत पर उतरने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए परियोजना में शामिल पूरी टीम को बधाई दी है।

भारत चुनिंदा देशों में शामिल : एलसीए की पहली 'अरेस्टेड लैंडिंग' में शामिल सैन्य अधिकारियों ने बताया कि इस सफल परीक्षण ने भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शुमार कर दिया है जिनके पास ऐसे विमान डिजायन करने की क्षमता है जो विमान वाहक पोत पर उतर सकते हैं।

आइएनएस विक्रमादित्य पर उतर सकेगा : रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, 'भारतीय नौसैनिक विमानन के इतिहास में आज स्वर्ण अक्षरों का दिन है। गोवा में शॉर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी (एसबीटीएफ) आइएनएस हंस पर हुए परीक्षण ने इस विमान के भारतीय विमान वाहक पोत आइएनएस विक्रमादित्य पर लैंडिंग के प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।'

विकास में कई एजेंसियां शामिल : रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस परीक्षण ने एक नए दौर की शुरुआत की है जिसमें एक साझा लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई एजेंसियां एक साथ आई हैं। तेजस का नौसैनिक संस्करण अभी विकास के चरण में है। इसके विकास में रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ विमानन विकास एजेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का विमान अनुसंधान एवं डिजायन केंद्र, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और अन्य संगठन शामिल हैं।

'टेक्स्टबुक लैंडिंग' : डीआरडीओ सूत्रों ने तेजस की इस लैंडिंग को 'टेक्स्टबुक लैंडिंग' (सटीक लैंडिंग) करार दिया है। उन्होंने बताया कि दो सीटों वाले तेजस के इस नौसैनिक संस्करण ने 90 मीटर के क्षेत्र में सफलतापूर्वक 'अरेस्टेड लैंडिंग' की। पायलट ने विमान में 40 मिनट तक उड़ान भी भरी। उन्होंने बताया, 'एक सामान्य एलसीए को उड़ान भरने और लैंडिंग के लिए एक किमी लंबे रनवे की जरूरत होती है। लेकिन नौसैनिक संस्करण को उड़ान भरने के लिए 200 मीटर और लैंडिंग के लिए 100 मीटर का रनवे चाहिए।'

स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के नौसैनिक संस्करण का कम जगह में लैंडिंग (अरेस्ट लैंडिंग) का परीक्षण सफल रहा। एएनआइ

क्या है अरेस्टेड लैंडिंग

विमान को कम जगह में उतारने के लिए रनवे पर तार लगा दिए जाते हैं। लैंडिंग के दौरान जैसे ही विमान रनवे पर दौड़ता है तो वहां लगे तारों की मदद से उसकी गति को बेहद धीमा कर दिया जाता है।

छग में कांग्रेस विधायक ने अपने ही मंत्री पर लगाया घूस लेने का आरोप

नईदुनिया, अंबिकापुर : मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को अपनों के वार झेलने पड़ रहे हैं। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तबादलों के एवज में मंत्री के बंगले से पैसों की मांग की जाती है। यही वजह है कि कांग्रेस नेताओं और विधायकों की अनुशंसा वाले तबादला आवेदनों की सुनवाई नहीं हुई। इसके विपरीत भाजपा के लोगों ने जो सूची बनाई, उसी के आधार पर आदेश जार कर दिया गया। बेसिक शिक्षा मंत्री को भाजपा ने हाईजेक कर लिया है।

रामानुजगंज में शुक्रवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए बृहस्पति सिंह ने डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम पर कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, तबादले के एवज में शिक्षकों से छह माह का वेतन मांगा जा रहा है, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह है कि वह ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि शिक्षा और आदिमजाति कल्याण विभाग भाजपाइयों से मुक्त हो जाए।

डूसू चुनाव में एबीवीपी का परचम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का परचम लहराया। उसने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की है। वहीं, सचिव पद नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआइ) के खाते में गया। पिछले साल भी एबीवीपी ने इन तीनों पदों पर जीत हासिल की थी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह व कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विद्यार्थी परिषद को बधाई दी है। शाह ने अपने बयान में कहा, डूसू के चुनाव में एबीवीपी की भव्य विजय न सिर्फ देश के युवाओं में राष्ट्रवाद के अटूट संकल्प को दर्शाती है बल्कि यह राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के प्रति कटिबद्ध नए भारत की भी परिचायक है।

डूसू चुनाव समिति ने मतगणना के बाद नतीजों की घोषणा की। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के अक्षित दहिया, उपाध्यक्ष पद पर प्रदीप तंवर और संयुक्त सचिव पद पर शिवांगी खरवाल विजयी घोषित हुईं। अक्षित ने एनएसयूआइ की चेतना त्यागी को 10 हजार से ज्यादा मतों से हराया। सचिव पद पर एनएसयूआइ के आशीष लांबा ने एबीवीपी के योगित राठी को और संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी की शिवांगी खरवाल ने एनएसयूआइ के अभिषेक चपराणा को हराया है। सभी पदों पर अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा) तीसरे नंबर पर रहा। (पेज–2 भी देखें)

- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,संयुक्त सचिव पद पर जीती एबीवीपी
- एनएसयूआइ ने सचिव के पद पर जमाया अपना कब्जा

एबीवीपी के अध्यक्ष पद के विजेता अक्षित दहिया, उपाध्यक्ष प्रदीप तंवर और संयुक्त सचिव शिवांगी खरवाल। ध्रुव कुमार